[illegible]

बिहार [illegible]

[illegible]

पटना, दिनांक [illegible] अप्रील, 1992 ई०

श्री [illegible] कांति [illegible] सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

[illegible] में,

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी उपायुक्त ।

विषय:- नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक [illegible] में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की माँग एवं उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाय ।

2. यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को [illegible] में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा ।

3. यह छुट्टी प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के [illegible] ही बार अनुमान्य होगी ।

4. विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार [illegible] रहेगा जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की [illegible] प्रदत्त है ।

5. यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश आकस्मिक [illegible] रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग करने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2(बी) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन [illegible] होगी ।

विश्वासभाजन

[illegible]

([illegible] सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव, [illegible] विभाग ।

[illegible] ------2